1-8-25 प्रार्थना पत्र पेश हुआ वकील आवेदक उपस्थित।
तहसीलदार बाड़ी द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत/ किया कि पक्षकारान
के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा हो चुका है
अतः पूर्व में जारी अस्थाई डिक्री दिनांक 29-8-2011
के अनुसार ही दावा कायम डिक्री। दिया जाता है
निर्णय एवं डिक्री पृथक से। लिखाये जाकर शामिल
पत्रावली। निर्णयों पत्रावली [illegible] उपरान्त बाद
दाखिल दफ्तर हो।

[initials]

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी जिला–धौलपुर

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बाडी जिला धौलपुर (राज0)**
व इजलास **श्री भगवत शरण त्यागी (R.A.S.)**

1. रामस्वरूप पुत्र बदनसिंह उम्र 60 वर्ष जाति ठाकुर नि0 महुआखेडा तह0 बाडी

बनाम

1. रनिया विधवा अमरसिंह
2. रामकुमार पुत्र अमरसिंह
3. सोबरनसिंह पुत्र लाखनसिंह

} जाति ठाकुर नि0 ग्राम महुआखेडा तह0 बाडी जिला धौलपुर

4. राजरानी पुत्री स्व0 लाखनसिंह पत्नी नत्थी जाति ठाकुर निवासी रन्छनपुरा तह0 जौरा जिला मुरैना (म0प्र0)
5. रामबेटी विधवा राजवीर
6. आशाराम } पिसरान
7. मौनू } राजवीर

} जाति ठाकुर नि0 महुआखेडा तह0 बाडी

8. गीता विधवा रघुराज
9. रमेश } पिसरान
10. राजेन्द्रसिंह } रघुराज

} (दौराने दावा फौत) जाति ठाकुर नि0 ग्राम किराइच तह0 पोरसा जिला मुरैना

11. महेश कुमार पुत्र बैजनाथ जाति ब्राह्मण नि0 पाटीन का पुरा तह0 बाडी
12. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार बाडी वहैसियत लैण्ड होल्डर

दावा दावत

मुकदमा नं. 77 / 2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वंय
व हाजरी **श्री एस0सी0 श्रीवास्तव** मिनजानिव मुद्दई **श्री जे0पी0 गर्ग** मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

दावा वादी पूर्व में जारी अन्तिम डिकी दिनांक 29.08.2011 के अनुसार ही अन्तिम डिकी किया जाता है।

नीज .... मुवलिग........ बाबत ....खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शहर .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... को अदा करें।

दसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 08 साल 2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत........
ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी
बाडी जिला–धौलपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – **श्री भगवत शरण त्यागी (आर0ए0एस0)**

उनवान

रामस्वरूस **बनाम** रनिया

1. रामस्वरूप पुत्र बदनसिंह उम्र 60 वर्ष जाति ठाकुर नि0 महुआखेडा तह0 बाडी

वादी :–

बनाम

1. रनिया विधवा अमरसिंह
2. रामकुमार पुत्र अमरसिंह
3. सोबरनसिंह पुत्र लाखनसिंह

(1 से 3) जाति ठाकुर नि0 ग्राम महुआखेडा तह0 बाडी जिला धौलपुर

4. राजरानी पुत्री स्व0 लाखनसिंह पत्नी नत्थी जाति ठाकुर निवासी रन्छनपुरा तह0 जौरा जिला मुरैना (म0प्र0)
5. रामबेटी विधवा राजवीर
6. आशाराम पिसरान राजवीर
7. मौनू पिसरान राजवीर

(5 से 7) जाति ठाकुर नि0 महुआखेडा तह0 बाडी

8. गीता विधवा रघुराज
9. रमेश पिसरान रघुराज
10. राजेन्द्रसिंह पिसरान रघुराज

(दौराने दावा फौत)

(8 से 10) जाति ठाकुर नि0 ग्राम किराइच तह0 पोरसा जिला मुरैना

11. महेश कुमार पुत्र बैजनाथ जाति ब्राह्मण नि0 पाटीन का पुरा तह0 बाडी
12. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार बाडी वहैसियत लैण्ड होल्डर

प्रतिवादीगण :–

उपस्थित वादी के वकील – श्री सुरेश श्रीवास्तव एड0
प्रतिवादीगण के वकील – श्री जे0पी0 गर्ग एड0

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर0टी0ए0
दिनांक :– 12-08-2025

दावा सं. 117 / 2024

निर्णय

दावा वादी दिनांक 04.07.2011 को प्राथमिक डिकी किया जाकर प्रश्नगत आराजी परिशिष्ट 'क' के आराजी ख0नं0 रकवा 675 / 0–07, 744 / 0–06, 942 / 1–00, 1061 / 1–07 कुल किता 4 कुल रकवा 3–00 में वादी हि0 1 / 4, प्रति0 सं0 1 व 2 हि0 1 / 12, प्रति0 सं0 3 हि0 1 / 12, प्रति0 सं0 4 हि0 1 / 12, प्रति0 सं0 5,6,7 हि0 1 / 4, प्रति0 सं0 9 हि0 1 / 12, प्रति0 सं0 11 हि0 1 / 6 एवं परिशिष्ठ 'ख' के आराजी ख0नं0 572 / 0–18, 633 / 0–04, 759 / 1–01, 870 / 1–02, 864 / 0–09 कुल किता 5 कुल रकवा 3–14 में वादी हि0 1 / 4, प्रति0 सं0 1 व 2 हि0 1 / 12, प्रति0 सं0 3 हि0 1 / 12, प्रति0 सं0 4 हि0 1 / 12, प्रति0 सं0 5,6,7 हि0 1 / 4, प्रति0 सं0 8,9,10 हि0 1 / 4 स्थित

ग्राम महुआखेडा तह0 बाडी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर कृषिजोत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार बाडी को प्राथमिक डिकी की प्रति भेजी गई। तहसीलदार बाडी ने कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये। तत्पश्चात दिनांक 29.08.2011 को मुताबिक कुर्रेजात दावा वादी अन्तिम डिकी किया गया। इसके पश्चात प्रति0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09 नियम 13 सीपीसी पेश किया। जिसे स्वीकार किया जाकर दावा पुनः नम्बर लिया गया। तत्पश्चात वादी एवं प्रति0 की सुनवाई के पश्चात दिनांक 06.10.2020 को दावा पुनः प्राथमिक डिकी कर कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु तहसीलदार बाडी को प्राथमिक डिकी की प्रति भेजी गई। तहसीलदार बाडी द्वारा पत्रांक 1288 दिनांक 19.05.2025 से अवगत कराया कि पक्षकरान के मध्य आपसी सहमति से पूर्व में ही बंटवारा हो चुका है। जिसका नामान्तकरण संख्या 1932 दिनांक 03.11.2011 से पालना की जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि पूर्व में जारी अन्तिम डिकी दिनांक 29.08.2011 की पालना राजस्व रिकार्ड में हो चुकी है। जिसमें मुताबिक अन्तिम डिकी सभी पक्षकारान का हिस्सा अलग अलग किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद पूर्व में जारी अन्तिम डिकी के अनुसार इसी स्तर पर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि दावा वादी पूर्व में जारी अन्तिम डिकी दिनांक 29.08.2011 के अनुसार ही अन्तिम डिकी किया जाता है। निर्णय अनुसार अन्तिम डिकी जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बाडी जिला–धौलपुर